

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 17(1)साप्र/2/22 पार्ट(12)

जयपुर, दिनांक : 20.05.2025

—: आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी 'पंचम' श्रेणी में वरियता के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नांकित शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किये जाते हैं:-

क्र. सं.	वरियता क्रमांक	नाम एवं पदनाम आवंटी	सेवानिवृत्ति दिनांक	आवंटित आवास
1.	190/2020	सुश्री ज्योति सिंधल, आशुलिपिक, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.04.2054	5/110, गांधीनगर
2.	228/2020	सुश्री पूजा गोदारा, लिपिक ग्रेड-I, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.11.2059	5/120, गांधीनगर
3.	86/2018	श्री दिलीप सिंह, लिपिक ग्रेड-II, पंचायती राज विभाग, जयपुर	31.07.2054	5/111, गांधीनगर
4.	87/2018	श्री विवेक जोशी, लिपिक ग्रेड-II, कार्यालय निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा राजस्थान जयपुर	28.02.2055	जी-959, गांधीनगर (नया नं 5/189)
5.	90/2018	श्री पवन कुमार गोयल, कनिष्ठ लिपिक, कार्यालय अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर	31.07.2050	जीएडी/5/टी-1 /10, विद्याधर नगर
6.	229/2020	श्री तिलक कुमार शर्मा, लिपिक ग्रेड-I, वित्त (व्यय-2), शासन सचिवालय, जयपुर।	31.10.2057	जीएडी/5/टी-1 /15, विद्याधर नगर
7.	230/2020	श्री पवन गुरावा, लिपिक ग्रेड-I, सैनिक कल्याण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.04.2057	जीएडी/5/टी-1 /16, विद्याधर नगर
8.	90क/2018	श्री कृष्ण कन्हैया मीना, लिपिक ग्रेड-II, न्यायालय अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-6, जयपुर।	31.05.2045	जीएडी/5/टी-1 /19, विद्याधर नगर
9.	93/2018	श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, वाहन	30.06.2055	जीएडी/5/टी-1



		चालक, न्याय विभाग, जिला न्यायालय जयपुर महानगर		/ 23, विद्याधर नगर
10.	94 / 2018	श्री बृजेश कुमार भगौर, लिपिक ग्रेड-II, जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर जयपुर	30.09.2056	जीएडी / 5 / टी-1 / 25, विद्याधर नगर
11.	231 / 2020	श्री रामसिंह मीणा, लिपिक ग्रेड-I, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय,	31.05.2058	जीएडी / 5 / टी-1 / 26, विद्याधर नगर
12.	232 / 2020	श्री महावीर प्रसाद, लिपिक ग्रेड-II, गृह (गुप-11) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.10.2055	जीएडी / 5 / टी-1 / 30, विद्याधर नगर
13.	95 / 2018	श्री विष्णु कुमार छीपा, लिपिक ग्रेड-II, जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर जयपुर	30.11.2047	जीएडी / 5 / टी-1 / 33, विद्याधर नगर
14.	97 / 2018	श्रीमती सुमन लता धाकड, लिपिक ग्रेड-II, राज्य बीमा एवं प्रावधायी विभाग, जयपुर	31.08.2044	जीएडी / 5 / टी-1 / 38, विद्याधर नगर
15.	98 / 2018	श्री दिनेश कुमार सैनी, कनिष्ठ सहायक, जिला रसद एवं आपूर्ति अधिकारी जयपुर।	30.11.2044	जीएडी / 5 / टी-1 / 39, विद्याधर नगर
16.	233 / 2020	श्री राजकुमार मीणा, लिपिक ग्रेड-I, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.04.2055	जीएडी / 5 / टी-1 / 44, विद्याधर नगर
17.	234 / 2020	श्रीमती रेणु शर्मा, लिपिक ग्रेड-I, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय	30.11.2048	जीएडी / 5 / टी-1 / 48, विद्याधर नगर
18.	105 / 2018	श्री अनिल कुमार झाझड़िया, कनिष्ठ सहायक, कार्या अति. निदेशक स्थानीय निधि अंकक्षण विभाग, जयपुर।	30.06.2051	जीएडी / 5 / टी-1 / 64, विद्याधर नगर
19.	108 / 2018	श्री राजेश कुमार मीणा, कनिष्ठ सहायक, राज्य बीमा प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर	30.06.2050	जीएडी / 5 / टी-1 / 65, विद्याधर नगर
20.	112 / 2018	श्री दिनेश कुमार रायल, कनिष्ठ	30.11.2045	जीएडी / 5 / टी-1

		सहायक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, जयपुर		/66, विद्याधर नगर
21.	236/2020	श्री दिलीप कुमार मीणा, लिपिक ग्रेड-1, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.07.2056	जीएडी/5/टी-1 /69, विद्याधर नगर
22.	237/2020	श्री भरत कुमार कुमावत, लिपिक ग्रेड-1, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	28.02.2057	जीएडी/5/टी-1 /72, विद्याधर नगर
23.	114/2018	श्री मूलचंद मीणा, वाहन चालक, खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, जयपुर	31.03.2046	जीएडी/5/टी-1 /76, विद्याधर नगर
24.	115/2018	श्रीमती अनिता पंवार, कनिष्ठ लिपिक, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर मैट्रो, जयपुर	30.09.2043	जीएडी/5/टी-1 /79, विद्याधर नगर
25.	116/2018	श्री राजेश कुमार गुर्जर, कनिष्ठ रिसर्च सहायक, जल संसाधन विभाग, जयपुर	30.09.2054	जीएडी/5/टी-1 /80, विद्याधर नगर
26.	238/2020	श्री किशना राम, लिपिक ग्रेड-1, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय	31.01.2055	जीएडी/5/टी-1 /83, विद्याधर नगर
27.	240/2020	श्री शिव नाथ, लिपिक ग्रेड-1, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय	30.11.2058	जीएडी/5/टी-1बी /89, विद्याधर नगर
28.	118/2018	श्री मनीष कुमार शर्मा, कनिष्ठ सहायक, पंचायती राज विभाग, जयपुर	31.07.2054	जीएडी/5/टी-1 /91, विद्याधर नगर
29.	119/2018	श्री कुलदीप सिंह रत्न, कनिष्ठ सहायक, पंचायती राज विभाग, जयपुर	31.05.2050	जीएडी/5/टी-1 /94, विद्याधर नगर
30.	120/2018	श्री अनिल शर्मा, कनिष्ठ सहायक, पंचायती राज विभाग, जयपुर	31.05.2048	जीएडी/5/टी-1 /104, विद्याधर नगर
31.	241/2020	श्री मिन्दू चौधरी, लिपिक ग्रेड-1, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-3), शासन सचिवालय, जयपुर।	30.04.2054	जीएडी/5/टी-1 /107, विद्याधर नगर
32.	243/2020	श्री मयंक बंसल, लिपिक ग्रेड-1,	31.05.2051	जीएडी/5/टी-1

		गृह (ग्रुप-12) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।		/ 109, विद्याधर नगर
33.	121 / 2018	श्री सौरव, कनिष्ठ लिपिक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर	31.12.2055	जीएडी / 5 / टी-1 / 110, विद्याधर नगर
34.	122 / 2018	श्रीमती नीलम शर्मा, कनिष्ठ लिपिक, राजस्थान पुलिस एडीजीपी (रेल्वे) मुख्यालय जयपुर	30.11.2039	जीएडी / 5 / टी-1 / 112, विद्याधर नगर
35.	124 / 2018	श्री दिलीप कुमार वर्मा, कनिष्ठ लिपिक, कार्यालय विशिष्ट सहायक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) क्रम सं. 24, जयपुर महानगर	31.03.2050	जीएडी / 5 / टी-1 / 119, विद्याधर नगर
36.	244 / 2020	श्रीमती राजू कुमारी मूवाल, लिपिक ग्रेड-1, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.05.2054	जीएडी / 5 / टी-1 / 120, विद्याधर नगर
37.	245 / 2020	श्री गिरिराज सिंह राठौड़, लिपिक ग्रेड-1, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.04.2051	जीएडी / 5 / टी-1 / 122, विद्याधर नगर
38.	125 / 2018	श्री कृष्ण कुमार मीना, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर	31.07.2032	जीएडी / 5 / टी-1 / 123, विद्याधर नगर
39.	126 / 2018	श्री नितिन शर्मा, कनिष्ठ सहायक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जयपुर	30.06.2038	जीएडी / 5 / टी-1 / 125, विद्याधर नगर
40.	127 / 2018	श्री कृष्णपाल सिंह, कनिष्ठ सहायक, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-10 जयपुर महानगर, जयपुर	31.07.1983	जीएडी / 5 / टी-1 / 128, विद्याधर नगर
41.	246 / 2020	श्री रामकेश गुर्जर, आशुलिपिक, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	29.02.2056	जीएडी / 5 / टी-1 / 137, विद्याधर नगर
42.	247 / 2020	सुश्री संगीता, लिपिक ग्रेड-1, वित्त (व्यय-5) विभाग, शासन सचिवालय	31.10.2059	जीएडी / 5 / टी-1 / 142, विद्याधर नगर

43.	128/2018	श्री राम चंद्र मीना, कनिष्ठ लिपिक, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर	30.06.2028	जीएडी/5/टी-1/144, विद्याधर नगर
44.	132बी/2018	श्री जयदीप सिन्हा, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय अतिरिक्त निदेशक स्थानीय निकाय विभाग जयपुर	28.02.2050	जीएडी/5/टी-1/146, विद्याधर नगर
45.	133/2018	श्री दिनेश कुमार भार्गव, कनिष्ठ सहायक, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर	31.05.2038	जीएडी/5/टी-1/153, विद्याधर नगर
46.	248/2020	श्री राजेन्द्र कुमार मीणा, लिपिक ग्रेड-1, कृषि (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.12.2049	जीएडी/5/टी-1/154, विद्याधर नगर
47.	249/2020	श्री छोगा राम, लिपिक ग्रेड-1, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.07.2055	जीएडी/5/टी-1/158, विद्याधर नगर
48.	135/2018	श्रीमती शीला राठौड़, कनिष्ठ सहायक, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर	31.12.2036	जीएडी/5/टी-1/159, विद्याधर नगर

शर्तें:-

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 कार्य दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क़य करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-चूँकि उक्त कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।

7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:—
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मन मोहन गौड़)

वरिष्ठ उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त, जयपुर।
2. उप शासन सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
3. उप सचिव (प्रशासन), पंचायती राज विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
4. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/ राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग/ स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग/ स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
5. प्रभारी अधिकारी (संस्थापन), जिला रसद एवं आपूर्ति अधिकारी-II/ खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण/ अति जिला न्यायाधीश क्रम-10/ न्यायालय अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-6/ जिला न्यायालय जयपुर महानगर/ जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर महानगर/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर मैट्रो/ विशिष्ट सहायक मजिस्ट्रेट, एन.आई.एक्ट प्रकरण क्रम सं. 24, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
6. पुलिस एडीजीपी (रेलवे) मुख्यालय,, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
7. अति मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/ जल संसाधन विभाग/, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।

8. प्राचार्य, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
9. उपायुक्त, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग/ वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
10. अति. प्रधान मुख्य वर संरक्षक, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
11. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
12. वित्तीय सलाहकार कार्मिक(ग-1) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
13. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
14. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
15. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
16. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर/विद्याधर नगर, जयपुर।
17. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल/विद्याधर नगर, जयपुर।
18. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गाँधीनगर, जयपुर/पुलिस अकादमी परिसर, पानीपेच, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लैकबोर्ड पर चस्पा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
19. संबंधित कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को सम्मिलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे।
20. निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
21. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ उप शासन सचिव